

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 300]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2024—आश्विन 26, शक 1946

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

फा.क्र. 84(04)-2024-चार-वि.निर्वा.-292.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

1. अधिसूचना क्रमांक 100-म.प्र.-वि.स.-2-2024 (उ.नि.), दिनांक 18 अक्टूबर 2024
2. अधिसूचना क्रमांक 100-म.प्र.-वि.स.-2-2024 (उ.नि.), दिनांक 18 अक्टूबर 2024

राजेश कुमार कौल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, तारीख 18 अक्टूबर 2024—26 आश्विन, 1946 (शक)

अधिसूचना

क्र. 100-म.प्र.-वि.स.-2-2024 (उ.नि.).—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 156-बुधनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री शिवराज सिंह चौहान के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 18 जून 2024 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्त को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 एवं 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

(अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 156-बुधनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 25 नवम्बर 2024 (सोमवार) से पूर्व राज्य की विधान

सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

- (ब) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:—
- (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 25 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 28 अक्टूबर, 2024 (सोमवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 30 अक्टूबर, 2024 (बुधवार)
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा : 13 नवम्बर, 2024 (बुधवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा : 25 नवम्बर, 2024 (सोमवार); और
- (स) 07.00 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(अमित कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 18th October, 2024—26 Asvina, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-2-2024 (Bye).—WHEREAS, the seat of Shri Shivraj Singh Chouhan in the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, elected from 156-Budhni Assembly Constituency, has become vacant on 18th June, 2024 by reason of his resignation; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy, so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby:—

- (A) Calls upon the said 156-Budhni Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 25th November, 2024 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election:—
- (a) Last date for filling of nominations: 25th October, 2024 (Friday)
- (b) Date for the scrutiny of nominations: 28th October, 2024 (Monday)
- (c) Last date for the withdrawal of candidatures: 30th October, 2024 (Wednesday)
- (d) Date of Poll on which a poll shall, if necessary, be taken : 13th November, 2024 (Wednesday)
- (e) Date before which the election shall be completed: 25th November, 2024 (Monday); and
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, तारीख 18 अक्टूबर 2024—26 आश्विन, 1946 (शक)

अधिसूचना

क्र. 100-म.प्र.-वि.स.-2-2024 (उ.नि.)—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 02-विजयपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री रामनिवास रावत के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 08 जुलाई 2024 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

(अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 02-विजयपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 25 नवम्बर 2024 (सोमवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियत करता है:—

- (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 25 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 28 अक्टूबर, 2024 (सोमवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 30 अक्टूबर, 2024 (बुधवार)
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा : 13 नवम्बर, 2024 (बुधवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा : 25 नवम्बर, 2024 (सोमवार); और
- (स) 07.00 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(अमित कुमार)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 18th October, 2024—26 Asvina, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-2-2024 (Bye).—WHEREAS, the seat of Shri Ramniwas Rawat, in the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, elected from 02-Vijaypur Assembly Constituency, has become vacant on 8th July, 2024 by reason of his resignation; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy, so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby:—

- (A) Calls upon the said 02-Vijaypur Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 25th November, 2024 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy

in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election:—

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filling of nominations: | 25 th October, 2024 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 28 th October, 2024 (Monday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 30 th October, 2024 (Wednesday) |
| (d) Date of Poll on which a poll shall, if necessary, be taken | 13 th November, 2024 (Wednesday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 25 th November, 2024 (Monday); and |

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

Sd./-

(AMIT KUMAR)

Secretary,

Election Commission of India.